न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी सुश्री श्वेता कोचर, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
459 / 2015	दावा 88,91,92A RTA	14.12.2015	31.05.2019

बीरबल दत्तक पुत्र रामधन जाति जाट निवासी मोलीसर बड़ा तहसील व जिला चूरू
–वादी–

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार साहब, चूरू
–प्रतिवादी–

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए आर.टी.ए.

उपस्थित – 1. अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र बुडानिया वादी
2. पैरोकार राज उपस्थित ।

निर्णय

वादी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि वादी का वंशवृक्ष निम्न प्रकार से पेश है–

स्व. गोरूराम पुत्र जसाराम जाति जाट निवासी मोलीसर बड़ा तहसील व जिला चूरू

- हरकीदेवी (पत्नी फौत)
- नानगराम (पुत्र फौत)
  - झूमादेवी (पत्नी फौत)
- लादूराम (पुत्र फौत)
  - पन्नीदेवी (पत्नी फौत) लावल्द
- रामधन (पुत्र फौत)
  - तीजा पत्नी (फौत)
  - बीरबल दत्तकपुत्र

यह कि कृषि भूमि ख. नं. 205, 219, 234, 239, 241, 256 तादादी क्रमशः 3 बीघा 12 विश्वा, 2 बीघा 3 विश्वा, 14 बीघा 6 विश्वा, 11 बीघा 10 विश्वा, 1 बीघा, 16 बीघा कुल किता 6 तादादी 48 बीघा 11 विश्वा रोही मौजा मोलीसर बड़ा तहसील चूरू के खातेदार काबिज काश्तकार वादी के दादा स्व. गोरूराम पुत्र जसाराम थे उनके स्वर्गवास के उनकी बेवा हरकीदेवी पुत्र गण नानगराम, लादूराम व रामधन खातेदार काबिज कास्तकार हो गये गौरूराम की बेवा हरकीदेवी के स्वर्गवास के बाद उनके पुत्र गण नानगराम, लादूराम व रामधन जायज वारिसान होने से खातेदार काश्तकार हो गये नानगराम ने अपने हिस्से की कृषि भूमि की एक दस्तबरदारी दिनांक 19.7.80 को अपने दोनो भाईयों लादूराम व रामधन के बहिस्सा बराबर कर दी इस प्रकार से वादगत कृषि भूमि के सिर्फ दो लादूराम व रामधन खातेदार काबिज काश्तकार हो गये लादूराम का स्वर्गवास होने पर लादूराम का वादगत कृषि में जो 1/2 हिस्सा था उसकी बेवा

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

पन्नी के नाम दर्ज हो गया रामधन खातेदार के कोई जायन्दा सन्तान नही होने से रामधन व उसकी पत्नी तीजा के द्वारा वादी को गोद ले लिया गया रामधन व तीजा के स्वर्गवास के बाद वादगत कृषि भूमि में रामधन के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार उनका गोदपुत्र वादी हो गया अब वादी की काकी पन्नी बेवा लादूराम का भी स्वर्गवास हो चुका है पन्नी के कोई जायन्दा पुत्र पुत्रिया नहीं है वादी ही केवल मात्र अकेला नजदीकी जायज वारिसान पन्नी बेवा लादूराम है इस प्रकार से कानूनन वादी सम्पूर्ण उपर वर्णित कृषि भूमि का खातेदार काबिज काश्तकार हो गया है। यही वादगत कृषि भूमि है। वंशवृक्ष स्व. गोरूराम ग्राम पंचायत मोलीसर बड़ा दावा के साथ पेश है।

यह कि वादगत कृषि भूमि की 1/2 हिस्सा की खातेदार काश्तकार रही स्व. पन्नी बेवा लादूराम के कोई जायन्दा सन्तान नहीं है स्व. पन्नी बेवा लादूराम का एक मात्र जीवित वादी ही नजदीकी वारिस वादी स्व. पन्नी के पति स्व लादूराम के भाई का पुत्र होने के कारण भी स्व. पन्नी बेवा लादूराम का नजदीकी वारिस है इस प्रकार से पन्नी बेवा लादूराम के नाम से वादगत कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा का अकेला एक मात्र खातेदार काबिज काश्तकार कानूनन वादी है जिसकी घोषणा करवाने व राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने का वादी हर प्रकार से अधिकारी है इस हेतु वाद वादी पेश किया जा रहा है। यह कि वादी ने प्रतिवादी से मिलकर कई बार कहा कि पन्नी बेवा लादूराम का स्वर्गवास हो चुका है वादी ही एक मात्र जीवित जायज वारिस है इसलिए वादगत कृषि भूमि में स्वः पन्नी बेवा लादूराम के नाम से 1/2 हिस्सा जो अंकित है के स्थान पर वादी का नाम अंकित किया जावे पहले तो प्रतिवादी हां हूं करते रहे मगर आखिर में दिनांक 27.11.15 को ऐसा करने से स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया वादी वादगत सम्पूर्ण भूमि पर बतौर खातेदार काबिज काश्तकार है वादगत कृषि भूमि की 1/2 हिस्सा की खातेदार स्व. पन्नी बेवा लादूराम का जायज वारिस है इसलिए इस दावा के प्रतिवादी को आधार प्राप्त है प्रतिवादी द्वारा दिनांक 27.11.15 को की गई स्पष्ट रूप से इन्कारी की तिथि से वादी को इस दावा के प्रति कारण प्राप्त है।

यह कि वादगत कृषि भूमि का राजस्व रिकॉर्ड प्रतिवादी के पावर व पजेशन में है। दावा वादी डिक्री होने की सूरत में मुताबिक डिक्री के कार्यवाही प्रतिवादी के द्वारा की जानी है इसलिए प्रतिवादी राजस्थान सरकार को पक्षकार वाद बनाया गया है। वादी द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध कोई नुकसानप्रद अनुतोष नहीं चाहा गया है इसलिए प्रतिवादी राजस्थान सरकार को धारा 80 सी पी सी का नोटिस दिए बिना दावा वादी पेश किया जा रहा है। यह कि वादगत कृषि भूमि श्रीमान् जी के अधिकार क्षेत्र में स्थित है इसलिए इस दावा के प्रति श्रीमानजी को हर प्रकार से श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है दावा वादी उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश है।

उपखण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

अतः दावा वादी पेश कर अर्ज है कि वाद वादी स्वीकार फरमाया जा कर दावा वादी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे:–

(क) घोषणा इस आशय की की जावे कि वादी सम्पूर्ण वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 205, 219, 234, 239, 241, 256 तादादी क्रमशः 3 बीघा 12 विश्वा, 2 बीघा 3 विश्वा, 14 बीघा 6 विश्वा, 11 बीघा 10 विश्वा, 1 बीघा, 16 बीघा कुल किता 6 तादादी 48 बीघा 11 विश्वा रोही मौजा मोलीसर बड़ा तहसील चूरू के खातेदार काबिज काश्तकार है।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

(ख) वादगत कृषि भूमि खसरा नं. 205, 219, 234, 239, 241, 256 तादादी कमशः 3 बीघा 12 विश्वा, 2 बीघा 3 विश्वा, 14 बीघा 6 विश्वा, 11 बीघा 10 विश्वा, 1 बीघा, 16 बीघा कुल किता 6 तादादी 48 बीघा 11 विश्वा रोही मौजा मोलीसर बड़ा तहसील चूरू के राजस्व रिकॉर्ड में पन्नी बेवा लादूराम के 1/2 हिस्सा के स्थान पर वादी का नाम अर्थात सम्पूर्ण वादगत कृषि भूमि में वादी का नाम अंकित किया जावे इस आशय का राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

(ग) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी से दिलवाया जावे।

(घ) अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो अथवा दौराने सुनवाई वाद हो जावे वोह भी दिलवाये जावे।

वादी की ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से पैरोकार राज उपस्थित हुए। पैरोकार राज को जवाब हेतु काफी अवसर प्रदान किये गये। जवाब हेतु निर्धारित समयावधि व्यतीत होने पर वकील वादी की ओर से प्रतिवादी का जवाब बन्द करने का प्रार्थना पत्र पेश किया जो बाद सुनवाई के राज्यहित में जवाब हेतु एक अवसर और दिया जाना उचित मानते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर जवाब अवसर प्रदान किया गया। पैरोकार राज की ओर से जवाब पेश किया गया जिसकी प्रति वकील वादी को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का जवाबदावा राजस्थान सरकार की ओर से बिन्दुवार पेश कर अंकित किश कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में उल्लेखित बिन्दु सं. 1 में वंशवृक्ष पत्रावली में शामिल सरपंच ग्राम पंचायत मोलीसर बड़ा के वंशवृक्ष है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में बिन्दु सं. 2 स्वीकार योग्य नहीं है जिसका स्पष्टीकरण अभिलेख गोदपत्र दिनांक 23.06.1989 व नामान्तरकरण संख्या 402 से स्पष्ट है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में बिन्दु सं. 3 अस्वीकार्य है। चूंकि राजस्व अभिलेख नामान्तरकरण संख्या 402 में निर्णय अधिकारी द्वारा निर्णय दिनांक 16.11.2010 उल्लेखित किया गया है कि "कुर्सीनामे में बीरबलराम को लादूराम का दत्तक पुत्र किया गया है, साथ ही बीरबलराम को रामधन का दत्तक पुत्र अंकित किया गया है। गोदनामे की प्रति पेश नहीं की गई है। एक ही व्यक्ति दो व्यक्ति के गोद नहीं जा सकता। अतः नामान्तरकरण अस्वीकृत किया जाता है।" इसके साथ ही वादी द्वारा दावे में नामान्तरकरण सं. 402 की अपील का कोई जिक नहीं किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में बिन्दु सं. 4 स्वीकार योग्य नहीं है। चूंकि वादी ने वाद के बिन्दु संख्या 3 की ही बिन्दु संख्या 4 में पुनरावृति की है। इसलिये बिन्दु संख्या 3 का जवाब ही बिन्दु संख्या 4 में जवाब माना जावे। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के बिन्दु सं. 5 व 6 माननीय न्यायालय की कानूनी प्रकिया के अधीन है।

प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा पेश होने पर दावा में विवाद बिन्दुओं के निस्तारण हेतु निम्नांकित तनकियात कायम की जाकर उभयपक्ष को समझाईश की गई:-

1. आया घोषित किया जावे कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 205, 219, 234, 239, 241, 256 कुल तादादी 48.11 बीघा रोही मोलीसर बड़ा में पन्नी बेवाह लादूराम का एकमात्र जायज उत्तराधिकारी वादी होने से उनके 1/2 हिस्से की भूमि का वादी खातेदार काबिज काश्तकार है ?

—वादी—

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

2. आया वादगत कृषि भूमि में अंकित पन्नी बेवाह लादूराम 1/2 हिस्से के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम अंकित किया जावे ?

—वादी—

3. आया कानूनन एक ही व्यक्ति दो अलग—अलग व्यक्तियों के गोद नहीं जा सकता। इसी आधार पर रोही मोलीसर बड़ा में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 402 अस्वीकृत हो चुका है जिससे दावा वादी खारिज किये जाने योग्य है ?

—प्रतिवादी—

4. अनुतोष

दावा में तनकियात् कायम की जाकर पत्रावली साक्ष्यवादी में रखी गई। साक्ष्यवादी में गवाह गवाह बीरबलराम, गोपालराम, जीवणराम, भंवरलाल के साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये गये गवाहों के बयान लेखबद्ध किये गये गवाहान से जिरह पैरोकार राज द्वारा की गई। अन्य गवाह पेश नहीं करने पर साक्ष्यवादी बन्द की जाकर साक्ष्य प्रतिवादी हेतु समय दिया गया। साक्ष्य प्रतिवादी में पैरोकार राज ने बयान शपथ पत्र पेश किये जिनकी प्रतियां वकील वादी को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। जिरह हेतु नियत दिनांक को साक्ष्य प्रतिवादी के बयान लेखबद्ध किये गये। गवाह से जिरह वकील वादी द्वारा की गई। प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य हेतु समय चाहा गया जो दिया गया। इस दौरान पैरोकार राज की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का पेश किया जिसकी प्रति वकील वादी को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पैरोकार राज की ओर से पेश प्रार्थना पत्र में वादी के दावा पर रेसज्यूडिकेटा का सिद्धान्त एवं आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रावधान लागू होने से खारिज करने का निवेदन किया। वकील वादी को प्रार्थना पत्र के जवाब हेतु काफी अवसर व समय दिया जाकर अन्ततः स्वतः बन्द की शर्त पर अवसर दिया गया। वकील वादी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली मय दस्तावेजात् का धानपूर्वक अवलोकन किया गया जिससे वादी के दावा पर रेसज्यूडिकेटा का सिद्धान्त एवं आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रावधान लागू नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य प्रतिवादी माया गुर्जर पटवारी उपस्थित हुई जिनके बयान लेखबद्ध किये गये। गवाह से जिरह वकील वादी द्वारा की गई। अन्य साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर पत्रावली बहस हेतु रखी गई।

दावा पर वकील वादी एवं पैरोकार राज की बहस सुनी गई। वकील वादी ने दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि वादगत कृषि भूमि वादी की दादालाई पैतृक विरासत की भूमि है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा खातेदारी का है। शेष 1/2 हिस्सा की खातेदार पन्नीदेवी बेवा लादूराम जो वादी की चाची है, का है जिनका स्वर्गवास हो चुका है। स्व. लादूराम व स्व पन्नीदेवी के कोई जायन्दा पुत्र—पुत्री सन्तान नहीं है। इसलिए स्व. पन्नीदेवी के 1/2 हिस्से का एकमात्र जीवित कानूनी एवं नजदीकी वारिस वादी ही है। इस प्रकार उक्त सम्पूर्ण वादगत कृषि भूमि का एकमात्र उत्तराधिकारी एवं काबिज खातेदार काश्तकार वादी ही रहा है। उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि के मौके पर कब्जा काश्त वादी का ही रहा है। इसलिए स्व. पन्नीदेवी के 1/2 हिस्सा की खातेदारी की घोषणा वादी के नाम करवा कर राजस्व रिकार्ड में अंकित करवाने हेतु वादी ने यह दावा पेश किया है। वादी ने साक्ष्यवादी से अपने दावा कथनों को प्रमाणित कराया है जिससे दावा वादी के पक्ष में पूर्णतः प्रमाणित होता है। अतः दावा वादी

उपखण्ड अधि

चूरू

स्वीकार किया जाकर स्व. पन्नीदेवी के नाम अंकित 1/2 हिस्सा की खोतदारी वादी के नाम घोषित की जाकर राजस्व रिकार्ड में सम्पूर्ण भूमि वादी के नाम दर्ज की जावे।

पैरोकार राज ने बहस में जाहिर किया कि स्व. पन्नीदेवी ने अपने जीवनकाल में ही अपने 1/2 हिस्से की खातेदारी की भूमि की रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 26.09.1995 को श्योलाल, हनुमानाराम, परमेश्वरलाल पुत्रगण बीरबल के पक्ष में कर दी थी जो पत्रावली पर मौजूद है। जब स्व. पन्नीदेवी के वादगत 1/2 हिस्से के वसीयती उत्तराधिकारी मौजूद हैं जो वादी के जायन्दा पुत्रगण हैं, ऐसी स्थिति में वादी उक्त वादगत 1/2 हिस्से की खातेदारी अपने नाम से घोषित करवाने का अधिकारी नहीं है। वादी बीरबल पूर्व से ही स्व. रामधन का दत्तक पुत्र है जिसको अपने हिस्से की भूमि प्राप्त हो चुकी है। अतः दावा वादी अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जावे।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर पत्रावली एवं पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया जाकर दावा का निर्णय कायम की गई तनकियात् के अनुसार किया जाना उचित मानते हुए निम्नानुसार तनकीवार निर्णय किया गया:-

<u>तनकी नं. 1</u> में वर्णित है कि "आया घोषित किया जावे कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 205, 219, 234, 239, 241, 256 कुल तादादी 48.11 बीघा रोही मोलीसर बड़ा में पन्नी बेवाह लादूराम का एकमात्र जायज उत्तराधिकारी वादी होने से उनके 1/2 हिस्से की भूमि का वादी खातेदार काबिज काश्तकार है ?"

तनकी नं. 1 को साबित करने का जिम्मा वादी पर रहा है जिसने अपने दावा में अंकित तथ्यों को साबित करने के लिए प्रदर्श-1 से प्रदर्श 14 ए पेश किये हैं तथा साक्ष्यवादी एवं जिरह से उक्त दस्तावेजों को प्रदर्शित करवा कर प्रमाणित कराया है। वादी द्वारा पेश प्रदर्श-1 मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र है जिसमें वादी ने सशपथ स्वयं को उक्त विवादित 1/2 हिस्से का एकमात्र जायज व नजदीकी वारिस होना अंकित किया है। प्रदर्श-2 गोरूराम पुत्र जसाराम का कुर्सीनामा है तथा प्रदर्श- 2 ए इसकी छाया प्रति है। प्रदर्श-3 मृत्यु प्रमाण पत्र गोरूराम है तथा प्रदर्श- 3 ए इसकी छाया प्रति है। प्रदर्श-4 मृत्यु प्रमाण पत्र श्रीमती हरकीदेवी है तथा प्रदर्श- 4 ए इसकी छाया प्रति है। प्रदर्श-5 मृत्यु प्रमाण पत्र नानगराम है तथा प्रदर्श- 5 ए इसकी छाया प्रति है। प्रदर्श-6 मृत्यु प्रमाण पत्र झूमादेवी है तथा प्रदर्श- 6 ए इसकी छाया प्रति है। प्रदर्श-7 मृत्यु प्रमाण पत्र लादूराम है तथा प्रदर्श- 7 ए इसकी छाया प्रति है। प्रदर्श-8 मृत्यु प्रमाण पत्र रामधन है तथा प्रदर्श- 8 ए इसकी छाया प्रति है। प्रदर्श-9 मृत्यु प्रमाण पत्र तीजूदेवी है तथा प्रदर्श- 9 ए इसकी छाया प्रति है। प्रदर्श-10 मृत्यु प्रमाण पत्र पन्नीदेवी है तथा प्रदर्श- 10 ए इसकी छाया प्रति है। प्रदर्श-11 गोदनामा जो रामधन द्वारा वादी बीरबल को गोद लिया गया है जिसकी छाया प्रति प्रदर्श- 11 ए है। दस्तबरदारी नानकराम जो अपने भाई रामधन व लादू के पक्ष में की गई है जो प्रदर्श-12 है जिसकी छाया प्रति प्रदर्श- 12 ए है। प्रदर्श-13 नामान्तरकरण सं. 402 की प्रमाणित प्रति है जिसकी छाया प्रति प्रदर्श- 13 ए है। प्रदर्श-14 जमाबन्दी प्रमाणित प्रति है जिसकी छाया प्रति प्रदर्श- 14 ए है। वादी द्वारा पेश प्रदर्श-1 से 14 के अवलोकन से यह जाहिर है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 205, 219, 234, 239, 241, 256 कुल तादादी 48.11 बीघा रोही मोलीसर बड़ा की भूमि स्व. गोरूराम की खातेदारी की थी। स्व. गोरूराम के वारिसों में पत्नी हरकीदेवी, पुत्रगण नानगराम, लादूराम, रामधन थे जिनका स्वर्गवास हो चुका है। स्व.

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

नानगराम ने अपने खातेदारी हिस्से का परित्याग अपने भाईयों लादूराम व रामधन के पक्ष में जरिये दस्तबरदारी करवा दिया था जिससे वादगत कृषि भूमि में स्व. लादूराम व स्व. रामधन का 1/2, 1/2 हिस्सा अंकित हो गया। स्व. लादूराम के कोई जायन्दा पुत्र पुत्री सन्तान नहीं हुई तथा लादूराम के स्वर्गवास के बाद 1/2 हिस्सा में उसकी पत्नी पन्नीदेवी का नाम दर्ज हो गया। वर्तमान में पन्नीदेवी का भी स्वर्गवास हो चुका है परन्तु राजस्व अभिलेख में 1/2 हिस्सा में पन्नीदेवी का नाम अंकित है। स्व. रामधन के भी कोई जायन्दा पुत्र–पुत्री सन्तान नहीं हुई जिससे रामधन व उसकी पत्नी तीजा ने बीरबलराम पुत्र मोहनराम को गोद ले लिया तथा रामधन व तीजां के स्वर्गवास के बाद रामधन के 1/2 हिस्से में वादी बीरबल दत्तक पुत्र रामधन का नाम दर्ज हो गया जो आज भी दर्ज चला आ रहा है। उक्त तथ्य वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श–1 से 14 के अवलोकन से प्रमाणित होते हैं। दूसरी तरफ प्रतिवादी पैरोकार राज ने अपने जवाब में नामान्तारकरण संख्या 402 का हवाला देते हुए अंकित किया है कि एक ही व्यक्ति दो व्यक्तियों के गोद नहीं जा सकता के आधार पर उक्त नामा. अस्वीकृत हुआ है परन्तु उक्त नामा. की अपील के बारे में वादी ने कोई जिक्र नहीं किया है अर्थात् वादी द्वारा कोई अपील नहीं की गई है। इसी आधार पर दावा को स्वीकार योग्य नहीं होना बताया है। साथ ही साक्ष्य प्रतिवादी में दिये बयानों को जिरह से प्रमाणित भी नहीं करवा पाये हैं तथा ना ही ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किया है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि वादगत 1/2 हिस्से का कोई जायज वारिस मौजूद हो। बयानों के अवलोंकन से जाहिर होता है कि केवल कयासों के आधार पर कथन किया गया है जिनको सही नहीं माना जा सकता। दौराने दावा कार्यवाही प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के साथ पेश वसीयत के सम्बन्ध में भी पैरोकार राज ने अपने बयानों में कहीं भी कोई कथन नहीं किया है। इसके अतिरिक्त दावा की कार्यवाही के दौरान उक्त वादगत 1/2 हिस्सा का कोई दावेदार भी उपस्थित नहीं हुआ है। उपरोक्त विवेचना से परिलक्षित है कि वादगत 1/2 हिस्सा का एकमात्र जायज व नजदीकी उत्तराधिकारी वादी ही है। उक्त हिस्से पर वादी का ही कब्जा काश्त है। वादी तनकी नं. 1 को अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है।

उपखण्ड अधिकारी

<u>निर्णयः–</u> तनकी नं. 1 को अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है। अतः तनकी नं. 1 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

<u>तनकी नं. 2</u> में वर्णित है कि "आया वादगत कृषि भूमि में अंकित पन्नी बेवाह लादूराम 1/2 हिस्से के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम अंकित किया जावे ?

तनकी नं. 2 को साबित करने का जिम्मा भी वादी पर रहा है। चूंकि दावा में कायम की गई तनकी नं. 1 को वादी अपने दस्तावेजों एवं साक्ष्यवादी से अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है जिसके अनुसार वादगत कृषि भूमि में स्व. पन्नीदेवी के 1/2 हिस्से का वादी खातेदार एवं काबिज काश्तकार है इसलिए वह वादगत कृषि भूमि में अंकित पन्नी बेवाह लादूराम के 1/2 हिस्से के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में अपना नाम अंकित करवाने का अधिकारी है।

<u>निर्णयः–</u> तनकी नं. 2 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

<u>तनकी नं. 3</u> में वर्णित है कि "आया कानूनन एक ही व्यक्ति दो अलग–अलग व्यक्तियों के गोद नहीं जा सकता। इसी आधार पर रोही मोलीसर बड़ा में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 402 अस्वीकृत हो चुका है जिससे दावा वादी खारिज किये जाने योग्य है ?

तनकी नं. 3 को साबित करने का जिम्मा प्रतिवादी पर रहा है। पैरोकार राज ने अपने जवाबदावा में ग्राम मोलीसर बड़ा के गोदपत्र दिनांक 23.06.1989 व नामान्तरकरण संख्या 402 का उल्लेख करते हुए यह तथ्य अंकित किया है कि उक्त नामान्तरकरण इस तथ्य के आधार पर अस्वीकृत किया गया है कि एक ही व्यक्ति दो व्यक्तियों के गोद नहीं जा सकता। इसलिए दावा स्वीकार योग्य नहीं है। पैरोकार राज ने वादी के दो व्यक्तियों के गोद जाने के तथ्य को साबित करने के लिए कोई लिखित या मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया है। साथ ही अपने जवाब में अंकित तथ्यों के विपरीत साक्ष्य प्रतिवादी के बयानों में दूसरे अभिकथन किये हैं जबकि वादी द्वारा पेश दावा में वादी ने स्वयं को स्व. पन्नीदेवी का गोदपुत्र नहीं बताया है बल्कि पन्नीदेवी का एकमात्र नजदीकी वारिस अंकित किया है। वादी ने अपने आप को रामधन का गोदपुत्र बताया है जो तथ्य वादी द्वारा प्रस्तुत रामधन व तीजां के गोदनामा से प्रमाणित भी होता है। प्रस्तुत प्रकरण में ऐसा कोई दस्तावेज भी पत्रावली पर मौजूद नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि वादी दो व्यक्तियों के गोद गया है। इस प्रकार मात्र पैरोकार राज द्वारा मौखिक कथन करने से वादी को दो अलग–अलग व्यक्तियों के गोद जाना नहीं माना जा सकता। इस प्रकार तनकी नं. 3 को प्रतिवादी अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है।

<u>निर्णयः–</u> तनकी नं. 3 को प्रतिवादी अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। अतः तनकी नं. 3 प्रतिवादी के खिलाफ निर्णित की जाती है।

<u>अनुतोषः–</u> खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

<u>निर्णय</u>

तनकी नं. 1 व 2 वादी के पक्ष में एवं तनकी नं. 3 प्रतिवादी के खिलाफ निर्णित होने से दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त कृषि भूमि ख.नं. 205, 219, 234, 239, 241, 256 कुल तादादी 48.11 बीघा रोही मोलीसर बड़ा में वादी को पन्नी बेवाह लादूराम के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में पन्नी बेवाह लादूराम 1/2 हिस्से के स्थान पर वादी बीरबल दत्तक पुत्र रामधन का नाम अंकित करने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D")
अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

इजलास : सुश्री श्वेता कोचर आर0ए0एस0

बीरबल दत्तक पुत्र रामधन जाति जाट निवासी मोलीसर बड़ा तहसील व जिला चूरू
–वादी–

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार साहब, चूरू
–प्रतिवादी–

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए आर.टी.ए.
मुकदमा नं. 459 सन् 2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री सुरेन्द्रकुमार बुडानिया एडवोकेट वादी मिनजानिब मुदईब व पैरोकार राज प्रतिवादी मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

तनकी नं. 1 व 2 वादी के पक्ष में एवं तनकी नं. 3 प्रतिवादी के खिलाफ निर्णित होने से दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 205, 219, 234, 239, 241, 256 कुल तादादी 48.11 बीघा रोही मोलीसर बड़ा में वादी को पन्नी बेवाह लादूराम के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में पन्नी बेवाह लादूराम 1/2 हिस्से के स्थान पर वादी बीरबल दत्तक पुत्र रामधन का नाम अंकित करने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 31 माह मई सन् 2019 को जारी की गई।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू